—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला – अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 65/2021

उनवान

नानू पुत्र रामधन जाति जाट निवासी ग्राम झबरकिया, नसीराबाद, अजमेर
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. किशना पुत्र रंगलाल जाति जाट नि0 झबरकिया, नसीराबाद
2. मैनेजर आईसीआईसीआई, शाखा नसीराबाद
3. उप पंजीयक, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
3 व 4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू रा0 अधि0 1956

—: निर्णय :— दिनाँक :— 3.2.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादी की कयशुदा है :—

वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4511	0.43	4773	0.43
4511	0.04	4771	0.04
4511	0.03	4754	0.03
4511	0.31	4773/6121	0.31

उक्त आराजी वादी के पिता रामधन पुत्र ज्वारा ने रंगलाल पुत्र मादू से दिनांक 22.04.78 को क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। नामान्तकरण संख्या 383 दिनांक 15.09.98 को उपरोक्त आराजी विक्रय पत्र की पालना में वादी के पिता के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज कर दी गयी। किन्तु दौराने बंदोबस्त हाल जमाबंदी बनाते समय उपरोक्त आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादी उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा वादी को बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

निवेदन किया कि खसरा नम्बर 4771 रकबा 0.93 सरकारी भूमि है। हाल खसरा नम्बर 4773 वादी के पिता के नाम दर्ज है। शेष आराजी प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में सरकारी दर्ज थी। विकय पत्र भू संशोधन का होने से शून्य है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 15 राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा वादी नानू व गवाह रतन के बयान करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 :–</u>

ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा 4511 रकबा 4–19–0 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रंगलाल पुत्र मादू ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 29.04.78 को वादी के पिता रामधन पुत्र ज्वारा को बैचान की थी। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 4511 मिन रकबा 2–13–10 रंगलाल पुत्र मादू के नाम दर्ज था जो नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 15.09.98 से वादी के पिता रामधन पुत्र ज्वारा के नाम दर्ज हुआ। वंर्किग खसरा नम्बर 4511 का शेष रकबा 2–5–10 नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 31.01.96 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ तथा नामान्तकरण संख्या 532 दिनांक 28.12.01 से खातेदारी दर्ज हुयी। नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 09.07.05 से उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 4511 का शेष रकबा 2–5–10 सिवायचक दर्ज था जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1996 में गैर खातेदारी दर्ज हुआ। आराजी मुतनाजा भू संशोधन जमाबंदी में खातेदारी थी जिसके आधार पर उक्त आराजी का विकय पत्र निष्पादित किया गया। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन की मान्यता समाप्त करने पर उक्त आराजी सिवायचक दर्ज की गयी। भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये उक्त आराजी को पुनः भू संशोधन में दर्ज खातेदार/वारिस के नाम नियमन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने उक्त आराजी प्रतिफल प्राप्त कर जरियें पंजीकृत विकय पत्र बैचान कर दी थी। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार शेष नही है। विकय पत्र की दिनांक 29.41978 है जिसके अनुसार विकय दिनांक को उक्त आराजी विकेता की खातेदारी में नही थी। किन्तु आज दिनांक को उक्त आराज विकेता के पुत्र के नाम खातेदारी दर्ज है। विकय की गयी शेष आराजी का नामान्तकरण उसके पक्ष में हो चुका है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रस्थापना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विकेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विकय वैध है। आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा है। उक्त विकय पत्र की पालना में अधिकांश रकबे का नामान्तकरण वादी के नाम हो चुका है। वंर्किग खसरा नम्बर 4511 का शेष रकबा 2–5–10 नामान्तकरण संख्या 145 दिनांक 31.01.96 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ तथा नामान्तकरण संख्या 532 दिनांक 28.12.01 से खातेदारी दर्ज हुयी। नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 09.07.05 से उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज की गयी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4771 रकबा 0.04, 4754 रकबा 0.03 व 4773/6121 रकबा 0.31 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त करे बैचान कर दी है तथा कब्जा संभला दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि उक्त आराजी बैंक के नाम रहन होने से वादी उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। किन्तु प्रतिवादी के पिता द्वारा उक्त आराजी पूर्व में ही विकय कर दी थी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी पर ऋण लेने का अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख व दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। गवाह रतन ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि केता रामधन के एक लडका व 4 लडकी है। वाद में लडकियो को पक्षकार नही बनाया गया है किन्तु उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज किया जाना उचित होगा। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 4771/6554 रकबा 0.04, 4754 रकबा 0.03 व 4773/6121 रकबा 0.31 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी संख्या 1 के पिता रामधन पुत्र ज्वारा को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नानू बनाम किशना

दावा बाबत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 65/2021
पेश करने की दिनांक – 29.06.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर ए एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 4771/6554 रकबा 0.04, 4754 रकबा 0.03 व 4773/6121 रकबा 0.31 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी संख्या 1 के पिता रामधन पुत्र ज्वारा को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 02 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद